न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 33/2019

अनवान :

भागीरथ पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. कुरड़ाराम पुत्र पिरूराम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- असल प्रतिवादी

2. सुमित्रा पुत्री कुरड़ाराम पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी मालकस हाल निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. आरएमजीबी बैंक शाखा अनुपशहर जरिऐ शाखा प्रबन्धक शाखा प्रबन्धक अनुपशहर तहसील भादरा।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा **: वादी**

वकील श्री महेश बंसल **: प्रतिवादी सं0 1 व.2**

निर्णय **दिनांक :** 30.05.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मालकस के खाता सं0 169/158 के खसरा सं0 130 की 1.9480 है0 खसरा सं0 169/1 की 0.3790 है0 खसरा सं0 170 की 3.2370 है0 खसरा सं0 187 की 15.2640 है0 कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 20.8280 है0 खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 का अपने भाईयों राजेराम, सुखराम, रामसिंह के साथ बहिस्सा बराबर यानि 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 संयुक्त हिन्दु परिवार के सहदायिक सदस्य है। वाद भूमि पैतृक पुस्तैनी कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के मौरूस आला पीरूराम पुत्र मामराज की खातेदारी हुआ करती थी। पिरूराम की फौतगी पर उक्त भूमि वादी के पिता कुरड़ाराम को विरासत में प्राप्त हुई है।

उपरोक्त वर्णित कुल भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 का भी प्रतिवादी सं0 1 के 1/4 यानि 5.207 है0 में बहिस्सा बराबर हक बनता है अर्थात् कुल कृषि भूमि में वादी का 1/12 हिस्सा यानि 1.735 है0 प्रतिवादी सं0 1 का 1/12 हिस्सा यानि 1.735 है0 प्रतिवादिया सं0 2 का 1/12 हिस्सा यानि 1.735 है0 है। वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है और वादी व प्रतिवादी सं0 2 का उक्त भूमि में कानूनन जन्म से हक निहित है, उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम मात्र कर्ता खानदान होने के नाते दर्ज है, इसलिए वादी को हक व अधिकार है वह प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में अपना कानूनन हक हिस्सा बराबर दर्ज करवा लें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)भाद

आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकारराज ने जबाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 आरएमजीबी बैंक शाखा अनुपशहर को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी भागीरथ पुत्र कुरड़ाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम मालकस के खाता सं0 169/158 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मालकस सम्वत् 2044 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि पैतृक पुस्तैनी कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के मौरूस आला पीरूराम पुत्र मामराज की खातेदारी हुआ करती थी। पिरूराम की फौतगी पर उक्त भूमि वादी के पिता कुरड़ाराम को विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम मालकस के के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है।

वादी ने अपने दावा में वाद भूमि पैतृक पुस्तैनी कृषि भूमि होना व पूर्व में वादी के मौरूस आला पीरूराम पुत्र मामराज की खातेदारी होना व पिरूराम की फौतगी पर उक्त भूमि वादी के पिता कुरड़ाराम को विरासत में प्राप्त होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मालकस सम्वत् 2044 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा पीरू वल्द मामराज के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि पैतृक होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में कुरड़ाराम के वारिसान में पत्नि विद्या देवी, एक पुत्र भागीरथ व एक पुत्री सुमीत्रा होना व इनके अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम मालकस के खाता सं0 169/158 के खसरा सं0 130 की 1.9480 है0 खसरा सं0 169/1 की 0.3790 है0 खसरा सं0 170 की 3.2370 है0 खसरा सं0 187 की 15.2640 है0 कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 20.8280 है0 खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 का अपने भाईयों राजेराम, सुखराम, रामसिंह के साथ बहिस्सा बराबर यानि 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 कुरड़ाराम के बजाय वादी भागीरथ, प्रतिवादी सं0 1 कुरड़ाराम व प्रतिवादिया सं0 2 सुमीत्रा तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि आरएमजीबी बैंक शाखा अनुपशहर के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी भागीरथ, प्रतिवादी सं0 1 कुरड़ाराम व प्रतिवादिया सं0 2 सुमीत्रा के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.5.19

सहायक कलक्टर
(सुखराम पिण्डेल)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ... भादरा

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 33/2019

अनवान :

भागीरथ पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. कुरड़ाराम पुत्र पिरूराम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- असल प्रतिवादी

2. सुमित्रा पुत्री कुरड़ाराम पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी मालकस हाल निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. आरएमजीबी बैंक शाखा अनुपशहर जरिऐ शाखा प्रबन्धक शाखा प्रबन्धक अनुपशहर तहसील भादरा।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्री महेश बंसल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम मालकस के खाता सं0 169/158 के खसरा सं0 130 की 1.9480 है0 खसरा सं0 169/1 की 0.3790 है0 खसरा सं0 170 की 3.2370 है0 खसरा सं0 187 की 15.2640 है0 कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 20.8280 है0 खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 का अपने भाईयों राजेराम, सुखराम, रामसिंह के साथ बहिस्सा बराबर यानि 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 कुरड़ाराम के बजाय वादी भागीरथ, प्रतिवादी सं0 1 कुरड़ाराम व प्रतिवादिया सं0 2 सुमीत्रा तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि आरएमजीबी बैंक शाखा अनुपशहर के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी भागीरथ, प्रतिवादी सं0 1 कुरड़ाराम व प्रतिवादिया सं0 2 सुमीत्रा के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

30.5.19

(सुखाराम पिण्डेल) R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़